

jkt; i ky | fpoky;] m0i 0] y[kuÅÅ
l a[; k% th& 1934@th0, l 0
fnuklD%& 17@05@2018

uhykeh&l ipuk

राजभवन लखनऊ में निष्प्रयोज्य घोषित विभिन्न प्रकार की विद्युत सामग्री की सार्वजनिक नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिनांक-20/06/2018 को अपरान्ह 3:00 बजे स्टाफ क्लब, निकट गेट नं0-6, राजभवन, लखनऊ में की जायेगी।

नियम व शर्तें राजभवन की वेवसाइट www.upgovernor.nic.in पर भी देखे जा सकते हैं अथवा कार्यालय में दिनांक-19/06/2018 तक अपरान्ह 3:00 बजे से साँय 5:00 बजे के मध्य प्राप्त किये जा सकते हैं।

¼ l at; JhokLro ½
fo'kšk | fpo , oa for fu; æd
jkt; i ky | fpoky;] m0i 0] y[kuÅÅ

&fu; e o 'kr1 %&

1. सामग्री एक लॉट में है, जिसको नीलामी तिथि के पूर्व मौके पर देखा जा सकता है।
2. नीलामी "जहाँ है जैसा है" के आधार पर होगी।
3. नीलामी में वही व्यक्ति अथवा फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जो जी.एस.टी. में पंजीकृत हों।
4. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ₹0 15,000/- की जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी जो कि fo'k'sk I fpo , oa for fu; ðd, jkT; i ky I fpoky; m0i 0] y[kuÅ के नाम में जारी होनी चाहिए। बैंक ड्राफ्ट नीलामी तिथि के एक दिन पूर्व कार्यालय समय प्रातः 11:00 बजे से साँय 5:00 के मध्य सहायक अभियन्ता (विद्युत), राजभवन के कार्यालय में जमा कराना होगा। नीलामी में वही व्यक्ति भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा बैंक ड्राफ्ट fnukd&19@06@2018 तक निर्धारित समय के अन्दर जमा हो चुके होंगे। नीलामी के उपरान्त यह धनराशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करने के उपरान्त अन्य बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
5. उच्चतम बोली दाता को तुरन्त पूर्ण धन का 25% जमा कराना होगा। अधिकतम बोली दाता द्वारा यदि निर्देशानुसार धन जमा नहीं किया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय अधिकतम बोली दाता के पक्ष में प्रकरण निस्तारित कर दिया जायेगा।
6. नीलामी की स्वीकृति तथा नीलामी को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 का होगा, जिसमें कोई वाद मान्य न होगा।
7. नीलामी मूल्य, जिसमें नियमानुसार देय टैक्स (जी0एस0टी0 @ 18%) भी अलग से देय होगा, जिसे बोली दाता द्वारा स्वयं जमा कराकर प्राप्ति रसीद कार्यालय में जमा करानी होगी। स्वीकृति उपरान्त शेष धनराशि को डी.डी. के रूप में जो fo'k'sk I fpo , oa for fu; ðd, jkT; i ky I fpoky;] m0i 0] y[kuÅ के पक्ष में हो के द्वारा जमा कराने के बाद समस्त सामग्री को "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दो दिन के अन्दर कार्यस्थल से हटाना होगा, अन्यथा मूल्य का 2% प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अधिभार लगाया जायेगा।
8. सामग्री का निरीक्षण नीलामी तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अपरान्त 3:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य सहायक अभियन्ता (विद्युत), राजभवन, लखनऊ से सम्पर्क कर किया जा सकता है।

¼ I at; JhokLro ½
fo'k'sk I fpo , oa for fu; ðd
jkT; i ky I fpoky;] m0i 0] y[kuÅ